न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 96/प्रा0पत्र/2019

1. रामघणी आयु .. पुत्री श्री हीरा जाति गुर्जर निवासी सलावलिया हाल निवासी बरोदा तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा (राज0)।

प्रार्थीयां

बनाम

1. प्रेम पुत्री हीरा पत्नी रंगलाल जाति गुर्जर निवासी बोरखेडा।
2. फोदू पुत्री हीरा जाति गुर्जर निवासी सलावलिया निवासी हिण्डोली।
3. मन्नी पुत्री हीरा पत्नी शोजीलाल जाति गुर्जर निवासी अस्तोली तहसील बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री भंवरलाल गुर्जर
अप्रार्थी – सत्येन्द्र सिंह सोलंकी व पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 16/04/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 280 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 581 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 825 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 826 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 827 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 831 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 832 रकबा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 833 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 834 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 835 रकबा 4 बीघा, 836 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 837 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 838 रकबा 1 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सलावलिया पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम रामघणी है परन्तु परिवार में अत्यधिक प्रिय होने के कारण फोरी बाई के नाम से पुकारे जाने के कारण सलावलिया गांव में फोरी बाई के नाम से ही जाना जाता है परन्तु विवाह होने व ससुराल में जाने के बाद प्रार्थीयां को वास्तविक नाम रामघणी बाई के नाम से ही पुकारा जाने लगा एवं समस्त कागजात में भी रामघणी ही दर्ज किया गया है। प्रार्थीयां के पिता श्री हीरा जी की मृत्यु होने के बाद राजस्व पटवारी द्वारा वारिसान की दरयाफत करते समय गांव में प्रचलित फोरी बाई के नाम से ही फोती इन्तकाल खोला जाकर प्रार्थीयां का नाम रामघणी बाई के स्थान पर फोरी दर्ज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

या है, हालांकि प्रार्थीयां का नाम फोरी बाई भी है परन्तु दस्तावेजों में रामघणी दर्ज होने के कारण विभिन्न प्रकार की कानूनी अडचन पैदा हो गई है इसलिए उक्त नाम फोरी बाई को दुरूस्त कर फोरी बाई के स्थान पर रामघणी दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त प्रविष्टि की जानकारी होने के बाद प्रार्थीयां ने नाम दुरूस्त करवाने बाबत पटवारी साहब व तहसीलदार जी को निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही पेश करने की कहने पर माननीय न्यायालय में कार्यवाही करनी पडी है। प्रार्थीयां के नाम को दुरूस्त किये जाने बाबत किसी भी संयुक्त खातेदार या राज्य सरकार को कोई क्षति नही हो रही है तथा उन्हे एतराज भी नही है। खातेदार जमना बाई की मृत्यु हो गई है तथा प्रार्थीयां व अप्रार्थीयां मन्नी, प्रेम व फोदू वारिस व कायम मुकाम है। खातेदार रामकरण, रामकंवरी, कजोड, हजारी, घीस्या प्रभावित पक्षकार नही होने के कारण अप्रार्थी नही बनाये गये है। विवादित भूमि ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि के रिकार्ड में प्रार्थीयां का नाम दुरूस्त कर फोरी बाई के स्थान पर रामघणी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र व प्रार्थना प्रार्थीया स्वीकार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सहवनवश राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयां के दर्ज नाम फोरी बाई को सही कर वास्तविक नाम रामघणी दर्ज करने के आदेश फरमावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावें।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 संलग्न जमाबंदी से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 लगायत 9 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है। ग्राम सलावलिया जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 223 किता 13 रकबा 16.09 में खातेदार फोरी दर्ज रेकार्ड है। वादिया के शपथ पत्र संलग्न वोटर आईडी व संलग्न दस्तावेज से फोरी के स्थान पर सहखातेदार रामघणी दर्ज किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी। वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीयां का नाम ग्राम सलावलिया की जमाबंदी में फोरी दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जबकि प्रार्थीयां के समस्त दस्तावेजों में नाम रामघणी पत्नी देवकिशन दर्ज है। प्रार्थीयां का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीयां ऋण प्राप्त करने व सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रही है। अतः प्रार्थीयां के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज फोरी पुत्री हीरा के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर रामघणी पुत्री हीरा कोम गुर्जर दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड नम्बर 9145 1367 0808 व मतदाता पहचान पत्र संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

KF/1163963, बैक पासबुक बैक ऑफ बडोदा शक्करगढ जिला–भीलवाडा खाता नम्बर 3380100004696, भामाशाह कार्ड संख्या YOQGFGS, श्रमिक कार्ड B6/2018/0004992 कार्यालय ग्राम पंचायत सहसपुरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीयां का नाम रामघणी देवी व फोरी बाई दोनों एक ही महिला का नाम होना दर्ज है, अतः मुताबिक दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब (1 लगायत 3) के जमाबंदी ग्राम सलावलिया खाता संख्या 223 में अंकित फोरी पुत्री हीरा के अंकन को विलोपित कर प्रार्थीयां का सही नाम रामघणी पुत्री हीरा कोम गुर्जर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयां स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 223 की कृषि भूमि खसरा संख्या 280, 581, 825, 826, 827, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838 कुल किता 13 कुल रकबा 16.09 बीघा वाके ग्राम सलावलिया पटवार मंडल सहसपुरिया में दर्ज सहखातेदार फोरी पुत्री हीरा के नाम के अंकन को विलोपित कर प्रार्थीयां का सही नाम रामघणी पुत्री हीरा कोम गुर्जर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)